संख्या-12 /2022/आई0/130584/2022- 23-9002(002)/4/2021

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक 08 जनवरी, 2022

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-57/83 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0 एफ0-27 योजनान्तर्गत जनपद प्रयागराज के 01 रेल उपरिगामी सेतु परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के पत्र संख्या-रा0बैं0उ0प्र0क्षे0का0/254/राज्य परियोजना विभाग/ आरआईडीएफ-04/RIDF-XXVII/2021-22, दिनांक 03.01.2022 के क्रम में मुख्य अभियन्ता (सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या-721/नाबार्ड वर्ष 2021-22)/बी0एम0सी0/2021, दिनांक 04.01.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदानसंख्या-57/83 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0-27 योजनान्तर्गत संलग्न सूची में वर्णित जनपद प्रयागराज के 01 रेल उपरिगामी सेतु परियोजना (जनपद प्रयागराज में जगतपुर के निकट इलाहाबाद-वाराणसी मार्ग पर रेल सम्पार सं0-60 स्पेशल के रेल कि0मी0-305/0-1 पर चार लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य) के निर्माण के लिये कुल लम्बाई 612.05 मी0 व कुल लागत रू0 66,67,56,000/- (रूपये छांछट करोड़ सड़सठ लाख छप्पन हजार मात्र) (जिसमें नाबार्ड द्वारा अनुमोदित धनराशि में प्रस्तावित सेतुओं की मूल लागत पर इनबिल्ट चार्ज, कन्टीजेंसी, जी0एस0टी0, लेबर सेस, सेन्टेज चार्ज (12.50 प्रतिशत), भूमि अध्याप्ति, रेलवे भाग की लागत व इन इलीजिबल कॉस्ट की धनराशि की धनराशि सम्मिलित है), की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष संलग्न सूची के स्तम्भ-20 के अनुसार रू0 6,66,75,000/-(रूपये छः करोड़ छांछट लाख पचहत्तर हजार मात्र) (जिसमें अनुदान संख्या-57 के लेखाशीर्षक 5054-04-101-36-00-24 से 78.79 प्रतिशत धनराशि रू0 525.33 लाख एवं अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 5054-04-789-21-00-24 से 21.21 प्रतिशत धनराशि रू0 141.42 लाख देय होगा), की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) विभाग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-र्निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(2) प्रस्तावित रेल उपरिगामी सेतु रेलवे विभाग द्वारा रेलवे वर्क्स प्रोग्राम में सम्मिलित एवं निर्माण लागत में सहभागिता सुनिश्चित होने के पश्चात निर्माण

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्य कराया जायेगा ।

(3) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों , समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(7) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनु02 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011 दिनांक 25 जनवरी 2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) मूल्यह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

(10) प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अतः भूमि का क्रय विभाग द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(11) विभाग द्वारा आगणन में सम्मिलित जी0 एस0 टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी। प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(12) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रभाग का मत है कि प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(13) विभाग द्वारा प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।

(14) विभाग विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तो का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(15) विभाग नाबार्ड शर्तों एवं योजना की गाइड लाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(16) प्रभाग द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत् मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रशासकीय विभाग का होगा।

(17) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(18) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(19) विभाग द्वारा वित्त ( आय व्ययक ) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(20) प्रश्नगत कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग में सम्पादित कराये जा रहे कार्यो हेतु Third Party Quality Audit/Inspection प्रणाली एवं रोड सेफ्टी आडिट प्रणाली, विकसित करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1850/23-12-17, दिनांक 22.11.2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(21) प्रायोजना का निर्माण कार्य 18 माह में पूर्ण करा लिया जाय।

(22) आर0ओ0बी0 निर्माण की जी0डी0ए0, लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन एवं डिजाइन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकृत परियोजना के स्कोप में परिवर्तन व उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल आदि समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा।

(23) कार्यदायी संस्था/विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(24) मार्ग सुरक्षा के प्राविधान आई0आर0सी0 कोड के अनुसार किये जाये।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-57 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-101-पुल-36-प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के मार्गो पर नये सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित)-00-24-वृहत् निर्माण कार्यमद एवं अनुदान सं-83 के अंतर्गत लेखाशीर्ष 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-789-अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना-21-नाबार्ड पोषित आर0आई0डी0एफ0 के अन्तर्गत नये सेतुओं का

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

निर्माण-00-24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा अनुदान संख्या-57 हेतु अशासकीय संख्या-ई-8-3590-दस-2021-22, दिनांक 08-01-2022 एवं अनुदान संख्या-83 हेतु अशासकीय संख्या- ई-8-3591-दस-2021-22, दिनांक 08-01-2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

**संलग्नक-यथोक्त ।**

भवदीय

( गिरिजेश कुमार त्यागी )
विशेष सचिव।

**संख्या उपरोक्त तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
4- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
5- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।
7- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता (सेतु)/ वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 ।
10- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ) ।
11- राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
12- लोक निर्माण अनुभाग-10 ।
13- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
14- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

( गिरिजेश कुमार त्यागी )
विशेष सचिव।

http://

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**शासनादेश संख्या-12/2022/आई0/130584/2022-फाईल नं0-23-9002(002)/4/2021-लोक निर्माण अनुभाग-9, दिनांक 08 जनवरी, 2022 का संलग्नक**

**(धनराशि रू0 लाख में)**

| क्र0 सं0 | जनपद का नाम | कार्य का नाम | सेतु की लम्बाई (मी0) | नाबार्ड को प्रेषित लागत | इनबिल्ट चार्ज लागत (सेतु, पहुंच मार्ग, योग) | कन्टीजेन्सी (कॉलम 5+6 का 1 प्रतिशत) | जी0एस0टी0 (कॉलम 5+6+7 का 12 प्रतिशत) | लेबर सेस (कॉलम 5+6+7 का 1 प्रतिशत) | सेन्टेज (कॉलम- 5+6+7 का 12. 50 प्रतिशत) | भूमि अध्याप्ति /यूटिलिटी शिफ्टिंग | रेलवे भाग की लागत | योग (सेतु, पहुंच मार्ग भूमि अध्याप्ति सहित) (कॉलम- 5 से 12 तक का योग) | प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति | इन-इली जीबिल कॉस्ट | नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण | राज्यांश (कॉलम 14-16) | वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त धनराशि की फांट | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | अनु0-57 | अनु83-0 | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | प्रयाग राज | जनपद प्रयागराज में जगतपुर के निकट इलाहाबाद-वाराणसी मार्ग पर रेल सम्पार सं0-60 स्पेशल के रेल कि0मी0-305/0-1 पर चार लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य | 612.05 | 3891.28 | 0.00 | 38.91 | 471.62 | 39.30 | 491.27 | 67.98 | 1667.20 | 6667.56 | 6667.56 | 3299.79 | 2694.22 | 3973.34 | 525.33 | 141.42 | 666.75 |

**(अवमुक्त धनराशि रू0 छः करोड़ छांछट लाख पचहत्तर हजार मात्र)**

( गिरिजेश कुमार त्यागी )

विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।